भारत सरकार **Government of India**
रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**
(रेलवे बोर्ड) **(Railway Board)**

OFFICE ORDER NO. 42 of 2020

Sub : Communication through e-mail

The Indian Railways Information and Communication Technology (IR ICT) Security Policy, 2019 details the information security policy that all IR units shall observe and follow. Section 17 of the Policy defines the acceptable e-mail usage in official working in sync with the Government of India's (GoI) e-mail policy.

2. In pursuance of the same, it is brought to notice of all concerned that only the e-mail services of GoI i.e. **@gov.in/@nic.in** domain should be used for all official communications. This email service is secure with Geo-fencing feature (country-wise access control). No official communication (email) should be entered into using the e-mail services provided by other service providers.

3. In order to ensure un-interrupted services and also for security reasons, updation of current mobile numbers under the personal profile of users is mandatory for security reasons. The number would be used only for sending alerts and information, if any, regarding security. Auto-save of password in the e-mail service should not be resorted to for security reasons. Sharing of a user's password with others is also strictly prohibited.

4. Public Sector Enterprises, under the administrative control of Ministry of Railways, are expected to use their corporate email accounts hosted on their servers located in India for all official communications.

5. In order to disseminate information for all users of IR network, a website : **cert-rail.railnet.gov.in** - has been hosted which contains best practices to be followed while using IT assets, various policy documents of GoI including the IR ICT security policy, advisories issued from time to time by various agencies of GoI, etc.

6. In view of the foregoing, all are requested to adhere to these instructions and all official communications over email should only be entertained and/or entered into through the official **[@]gov[dot]in / [@]nic[dot]in.**

No.2019/RBCC/7/7/Policy Implementation

22.05.2020

(Rajnesh Singh)
Director M.E (C&IS)
Railway Board

To,

All Officers and Staff of Board's Office/Metro Bhawan Pragati Maidan and at Dayabasti, New Delhi.

Copy to: **General Managers - All Indian Railways/PUs etc.,**
CTIs,
CMD/MD – PSUs.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

2020 का कार्यालय आदेश सं.42

विषय: ई-मेल के माध्यम से संप्रेषण (कम्युनिकेशन)।

इंडियन रेलवेज़ इंफोर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलोजी (आईआर आईसीटी) सिक्योरिटी पॉलिसी, 2019 में भारतीय रेल की सभी इकाइयों द्वारा सूचना सुरक्षा संबंधी नीति का अनुसरण एवं अनुपालन करने का उल्लेख किया गया है। इस नीति की धारा 17 में भारत सरकार की ई-मेल नीति के अनुसार सरकारी कार्यों में स्वीकार्य ई-मेल उपयोगिता का उल्लेख है।

2. इसके अनुसार, सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है कि कार्यालय संबंधी सभी प्रकार के संप्रेषण के लिए केवल भारत सरकार की ई-मेल सेवाओं अर्थात् @gov.in/@nic.in डोमेन का ही प्रयोग किया जाए। यह ई-मेल सेवा जिओ-फेंसिंग फीचर (देशव्यापी सुलभता नियंत्रण) से सुरक्षित है। किसी भी सरकारी संप्रेषण (ई-मेल) के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता की ई-मेल सेवाओं का उपयोग न किया जाए।

3. निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और सुरक्षा कारणों से, उपयोगकर्ताओं के वैयक्तिक प्रोफाइल के अंतर्गत वर्तमान मोबाइल नम्बर को अपडेट करना अनिवार्य है। इस नम्बर का उपयोग केवल सुरक्षा से संबंधित चेतावनियों एवं सूचनाओं, यदि कोई हो, को भेजने के लिए किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से ई-मेल सेवा में पासवर्ड को ऑटो-सेव करने का प्रयोग न किया जाए। एक उपयोगकर्ता के पासवर्ड को किसी अन्य उपयोगकर्ता के साथ साझा करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है।

4. रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सभी प्रकार के सरकारी संप्रेषण के लिए भारत में स्थित सर्वर पर दिए गए उनके कॉरपोरेट ई-मेल अकाउन्ट का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है।

5. भारतीय रेल नेटवर्क के सभी उपयोगकर्ताओं को यह सूचना प्रसारित करने के उद्देश्य से एक वेबसाइट: cert-rail.railnet-gov.in शुरू की गई है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परिसंपत्तियों का उपयोग करते समय अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियां, आईआर आईसीटी सुरक्षा नीति सहित भारत सरकार के विभिन्न नीतिगत दस्तावेज, भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी की गई एडवायज़री आदि शामिल की गई हैं।

6. तदनुसार, सभी से अनुरोध है कि इन अनुदेशों का पालन करें और सभी सरकारी संप्रेषण केवल सरकारी [@]gov[dot]in/[@]nic[dot]in] ई-मेल के माध्यम से ही स्वीकार करें और/या प्राप्त करें।

22.05.2020

सं. 2019/आरबीसीसी/7/7/पॉलिसी इंप्लिमेंटेशन
दिनांक: 22.05.2020

(रजनेश सिंह)
निदेशक, यांत्रिक इंजी. (सी एण्ड आईएस)
रेलवे बोर्ड

प्रेषित:

बोर्ड कार्यालय/मेट्रो भवन, प्रगति मैदान और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि,
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम